

एपीएल/स्ट्रेट बीपीएल/बीपीएल/अन्योदय राशन कार्ड में जारी बिनिटों में संशोधन, पता परिवर्तन एवं लुप्तीकेट राशन कार्ड बनाये जाने का आवेदन फार्म

1. जापान्य विवरण - '०' विनिहित सचना आवश्यक रूप से भरी जानी है।

राशन कार्ड संख्या ( 12 डिजिट)							
राशन कार्ड में दर्ज मुखिया का नाम							
मुखिया के पिता का नाम				माता का नाम			
भौबाहुल नम्बर							
ई-मेल पता							
राशन कार्ड में दर्ज पता	पक्षण नम्बर/पक्कान का नाम			मीहल्ला/कॉलोनी/लैंड मार्क/लोकेशनी			
*पंचायत समिति :	*ग्राम पंचायत :	*ग्राम/वार्ड सं. :					
(केवल प्राचीन सेत्र हेतु लागु)	(केवल प्राचीन सेत्र हेतु लागु)	(केवल प्राचीन सेत्र हेतु लागु)					
*नगर निगम/नगरपालिका/परिषद :	*नगर निगम/नगर परिषद/परिषद का वार्ड नं. :	*ज़िला :					
(केवल शहीद सेत्र हेतु लागु)	(केवल शहीद सेत्र हेतु लागु)	पिन नम्बर					

2. में परकरा राशनकार्ड उचित मूल्य दुकान सं.....नाम दुकानदार.....का था जो विरुद्ध हो/गुप्त/फट गया है। अतः चुप्पीकेट जारी करें। खोये हुए राशन कार्ड की फोटो प्रति /कटा-फटा राशन कार्ड संलग्न है। खोया हुआ राशन कार्ड परिवर्तन



३. मानवास स्थान बदलन के कारण शरांत काठ न देख पाता पारखान हमु जावदन चारता / चारता हू। फृपता गम्भीर सार न रहान काठ न देख पाता चारखाना कर		
शरांत काठ में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में नया पता : “” यिन्हित सुखना आवश्यक रूप से भरी जानी है।	मकान नम्बर/ मकान का नाम	गोहल्ला/ कॉलेजी/ लैड मार्क/ लोकेलटी
“चंचायत राष्ट्रिति : (केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु लाग)	*द्राघ चंचायत : (केवल ग्रामीण बोर्ड हेतु लाग)	*ग्राम/ वार्ड सं. : (केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु लाग)
*नगर निगम/ नगरपालिका/ परिषद : (केवल शहरी क्षेत्र हेतु लाग)	*नगर निगम/ नगर परिषद/ परिषद का बार्ड नं. : (केवल शहरी क्षेत्र हेतु लाग)	*ज़िला : पिं नवार
बिन्दु ३ में जिस मकान का पता दिया है वह भेशी निजी सम्पत्ति/ कच्छी बरती सर्वे यक्त सम्पत्ति है/ मैं किसाये के मकान में निवास करता/ करती हैं।		

जहां प्राकृतिक संरक्षण के लिए बोल्ड लिंगाराम मन्दिर के लिए विभिन्न समर्पण प्रसारण-प्रश्न प्राप्त हुए तो उनके लिए आवेदन करता / करती हैं।

4. मैं बिज़नेस वालों को समिक्षित रखने के लिए आवेदन करता / करती हूँ -

नोट - “\*” चिन्हित सचना आवश्यक रूप से भरी जानी है। परियार में लादस्त्रों की संख्या अधिक होने पर क्रम से 4 से ऊपरे की सचना अलग प्रबु पर पते के साथ देय।

५. वे निम्नांकित नामों को ऐसे परिवार राशन कार्ड से घटाने/समर्पण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन भरता/करती है-

क्र. सं.	नाम*	लिंग* M/F/Other	मुखिया से संबंध*	घटाने का कारण	सर्वप्रथम प्रबाण-पत्र कहाँ के लिए जारी करना है
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

नोट - "ए" विकल सक्ता आवश्यक रूप से भी जानी है। परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होने पर कम से ५ ये आगे की सक्ता अलग प्रकार पर पड़े के साथ देखें।

6. राशन कार्ड की विशिष्टियों की तुटियों में परिवर्धन/संशोधन :- उदाहरणार्थ वर्ती शुद्धि, पिला/नारङ्ग का नाम, पता, गैस कनेक्शन सम्बन्धी विशिष्टियां, आपकरदाता सम्बन्धी प्रविष्टियां, चिपिट मूल्य दुगान विवरण की विशिष्टियां, राशनकार्ड में दर्ज परिवार के सदस्यों के नाम, आयु, जन्म दिनांक व मुरिड्या से सम्बन्ध में संशोधन करवाने के लिए जारी मूल राशनकार्ड में जम्हुरि/वांचित परिवर्धन योग्य विशिष्टि पर आवेदक द्वारा गोला कर सही विशिष्टि स्वयं के हस्ताक्षर से अंकित की जाए तब मूल राशनकार्ड आवेदन कार्ड के साथ संलग्न किया जाए। यदि तुटि आवेदक के मूल कार्ड में भरी गयी सूचना से निलान करती है तो आवेदक को परिवर्धन एवं संशोधन के सम्बन्ध में दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
- परिवर्धन/संशोधन का संक्षिप्त विवरण -**

#### 7. घोषणार्थ :-

नोट - घोषणा का जो बिन्दु लागू नहीं हो उसे काट दें।

- (क) मेरा आवाकर विभाग का पेन छानांक..... है। मेरे राशन कार्ड में “मैं आवाकर चाता हूँ/नहीं हूँ” अंकित है जिसके स्थान पर मैरा लिखा जाए वर्दीकि मैं आवाकर चाता हूँ/नहीं हूँ।
- (ख) मेरे राशन कार्ड में गैस कनेक्शन न..... गैस एजेन्टी..... ठीबीरी/एसबीसी अंकित है जिसके स्थान पर मैरा कनेक्शन न..... गैस एजेन्टी..... ठीबीरी/एसबीसी अंकित किया जावे या मेरे पास गैस कनेक्शन नहीं है अतः मेरे राशन कार्ड में गैस कनेक्शन सम्बन्धित प्रविष्टि हटाई जाए।
- (ग) मेरा नाम बीपीएल/स्टेट बीपीएल बग्यन सूची वर्ग..... बीपीएल..... कार्ड..... मै/अन्यथेद्य सूची वर्ग..... बीपीएल..... वर्ग..... मै हूँ किन्तु मुझे..... श्रेणी का राशन कार्ड जारी कर दिया है अतः राशन कार्ड संलग्न कर निवेदन है कि मुझे..... श्रेणी का राशन कार्ड जारी किया जाए।
- (घ) इस प्रपत्र के बिन्दु 4 में वर्णित सदस्यों का नाम पहले से विन्ती भी अन्य प्रथलित राशनकार्ड में नहीं है और भा ही इस हेतु पहले कहाँ आवेदन किया गया है। न ही कोई सदस्य सेना से राशन लेता है।
- (ङ) इस प्रपत्र के बिन्दु 3 में यिस मकान का पता दिया है वह पैरी निवी सम्पत्ति है/मैं किसी तरीके के मकान में निवास करता हूँ।
- (च) इस प्रपत्र के बिन्दु 5 में श्री/श्रीमती/सुभूति..... का नाम विवाह/मृत्यु/तलाक/परिवारता/स्थानान्तरण/अलग निवास/अलग रसोई होने के कारण घटाने के लिए आवेदन किया गया है। श्री/श्रीमती..... शिले में मेरे/मेरी..... (मूलक से सम्बन्ध) है, इनकी मृत्यु के बाद मैं ही घर में वरिष्ठ सदस्य हूँ, इनके राशन कार्ड में मेरा नाम वर्ग है, अतः इनका नाम विलोकित करते हुए मेरे नाम से परिवार मुखिया के रूप में परिवर्तित राशन कार्ड जारी करें।
- (छ) इस प्रपत्र के बिन्दु 6 के त्रैन में मेरे द्वारा मूल राशन कार्ड में मेरे द्वारा अशुद्धि/वांचित परिवर्तनीय विशिष्टि पर गोला कर शुद्ध बद्धी/परिवर्तित विशिष्टि अंकित की गयी है जिसे मेरे राशन कार्ड में सुन्दर किया जाए।
- (ज) मैं और मेरा परिवार राशन कार्ड का उपयोग राशन बरस्तुर्प्राप्ति करने के अलावा जिसी अन्य कार्य हेतु नहीं करेंगा।
- (झ) मुझे पता है कि राशनकार्ड सरकार की सम्पत्ति है। इसे जब भी साक्षम अधिकारी प्रस्तुत करने के काहें मैं प्रस्तुत कर सूंगा। सदस्यों की जांच कभी भी की जा सकती है। गलत सूचना पावे जाने पर मेरा राशनकार्ड निरस्त किया जा सकता है सभा कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।
- (ञ) इस प्रपत्र के बिन्दु 1 से 7 में दी गई समस्त जानकारी सत्य है तथा कोई भी सत्य छुपाया नहीं गया है।

स्थान :

विनांक :

हस्ताक्षर आवेदक

#### सत्यापन

इस प्रपत्र के बिन्दु 3 में यिए करे मकान के पते पर श्री/श्रीमती/सुभूति..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... परिवार सहित अवधि..... से निवास कर रहे हैं। यह मकान पैरी निवी सम्पत्ति है। (बिन्दु 3 लागू होने पर ही सत्यापन कराया जाना है)

हस्ताक्षर मकान वालिक

#### कार्यालय/कियोरक द्वारा कार्यवाही

#### बैंक लिस्ट

- यद्या आवेदक द्वारा आवेदन कार्ड पूर्ण रूप से भरा हुआ रूपय के फोटो सहित मध्य हस्ताक्षर एवं मकान मालिक के हस्ताक्षर करा कर प्रस्तुत किया है?
- संलग्न दस्तावेजों का विवरण : (सभी संलग्नक आवेदक द्वारा स्वाप्नापित किये जाने आवश्यक हैं)
- पूर्ण राशन कार्ड निरस्ताकारण आवल संक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल समर्पण प्रमाण-पत्र।
  - निवास बाबत प्रमाण यथा विजली/पानी विल, नार निकल की गृहकर रसीद, बोटर पहाड़ान पत्र की फोटो प्रति।
  - नवदिवाहिता का नाम दर्ज कराने हेतु पिटा के राशनकार्ड से नाम कम कराने/शारी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति।
  - बच्चे का नाम दर्ज कराने हेतु नार निगम/नगरपालिका/पंचायत से जारी जन्म प्रमाण पत्र या बच्चा गोद होने के सर्टिफिकेट की प्रति।
  - ड्रूप्लीकेट राशनकार्ड हेतु पूर्ण प्रधानित कार्ड की फोटो प्रति/शापथ पत्र या कटा/फटा/विलपित राशनकार्ड।
  - मूल राशन कार्ड।
  - उप्र में परिवर्तन कराने हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा शिक्षा प्रमाण पत्र की स्वाप्नापित प्रति।
  - नाम छटाने के लिए मृत्यु प्रमाण-पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र/तलाकनामे की रूपप्राप्तिप्रति/परिवारता का स्वाप्नापित शापथ-पत्र।
  - नाम में परिवर्तन केतु प्रधान श्रेणी मजिस्ट्रेट से प्रमापित शापथ-पत्र अथवा राजकीय मुद्रणालय से जारी गजट की स्वाप्नापित फोटो प्रति।
  - स्वाप्नापित शापथ-पत्र।
  - नाम चुदावाने के लिए समर्पण प्रमाण-पत्र।
  - अन्य.....

संलग्नकों की कुल पेज संख्या.....

हस्ताक्षर लिपिक/कियोरक धारी  
कियोरक की ओहर